न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : अश्विन के. पंवार (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील सं. 64 / 2022

अपीलार्थी— **बनाम** **उत्तरदाता—**

अपीलार्थी—	बनाम	उत्तरदाता—
1. गुणेशाराम पुत्र मुकनाराम, 2. चुतराराम पुत्र मुकनाराम, जातियान जाट निवासीयान निंबली तहसील पचपदरा, जिला बाड़मेर।		1. राजस्थान राज्य जरिये उप तहसीलदार दूदवा 2. तीजो पत्नी नगाराम 3. टीकमाराम पुत्र तेजाराम 4. जेराराम पुत्र तेजाराम 5. राणाराम पुत्र लालाराम 6. रूखमोदेवी पत्नी लालाराम 7. वीरमाराम पुत्र पदमाराम 8. अचलाराम पुत्र गुमनाराम जातियान जाट, निवासीयान निंबली तहसील पचपदरा, जिला बाड़मेर।

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक राजस्व / 2021 / 04 दिनांक 18.10.2021 उप तहसीलदार दूदवा द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :—

1. श्री नरपत पुनड़, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. उप तहसीलदार दूदवा उत्तरदाता की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 12.07.2023

1. पत्रावली पेश हुई। अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित। उत्तरदाता संख्या 02 से 08 के अधिवक्ता उपस्थित। उत्तरदाता संख्या 01 अनुपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। दौराने बहस अपलीलांट के अधिवक्ता ने तर्क दिए कि अपीलांट व उत्तरदाता संख्या 02 से 08 की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम निंबली (दूदवा) निवासी तहसील पचपदरा के खेत खसरा नम्बर 64, 110, 281, 354 / 65, 355 / 65 भूमि अवस्थित है। अपीलांट व उत्तरदाता संख्या 02 से 08 का अपने अपने हक हिस्सेदार मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट व उत्तरदाता संख्या 02 से 08 की संयुक्त खातेदारी भूमि का बंटवाड़ा उप तहसीलदार दूदवा के आदेश क्रमांक राजस्व / 2021 / 04 दिनांक 18.10.2021 को पारित हुआ और आदेश अनुसार विवादित भूमि का राजस्व

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बालोतरा

रेकर्ड से अमल दरामद हुआ। उप तहसीलदार दूदवा का बंटवाडा आदेश मौके पर कब्जा–काश्त के विपरीत पारित किया गया। जिसके कारण पक्षकारान को अपूरणीय क्षति हो रही है जिससे अपनी बहस को आगे जारी रखते हुए निवेदन किया है कि पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है जो मौके पर कब्जा काश्त माफिक बंटवाड़ा पुनः करवाना चाहते है। अतः उप तहसीलदार दूदवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.10.2021 को निरस्त फरमावे। उतरदातागण संख्या 02 से 08 में से किसी पक्षकारान को फैसले से आपति है तो विभाजन मौका पर कब्जा काश्त अनुसार आपसी सहमति बंटवाड़े हेतु उप तहसीलदार दूदवा के समक्ष सभी पक्षकारान पेश हो।

2. अधिवक्ता उतरदाता संख्या 02 से 08 ने अधिवक्ता अपीलांट की बहस का समर्थन करते हुए अपनी बहस में तर्क दिया कि पक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत उप तहसीलदार दूदवा द्वारा बंटवाडा आदेश पारित किया गया था जिसके कारण पक्षकारान को भारी क्षति हो रही है। माफिक राजीनामा अनुसार आदेश फरवाया जावें।

3. हमनें उभयपक्ष विरूद्ध अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड, दस्तावेज व मूल बंटवाड़ा प्रमाणित प्रति का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि ग्राम नींबली तहसील पचपदरा का मूल खसरा नम्बर 64, 110, 281, 354/65 व 355/65 भूमि का बंटवाडा आदेश दिनांक 18.10.2021 को उप तहसीलदार दूदवा द्वारा पारित किया गया और उक्त आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 256 दिनांक 18.10.2021 इन्द्राज हुआ और उक्त इन्द्राज के आधार पर राजस्व रेकर्ड (जमाबंदी) में मूल खसरों के नए खसरे संशोधित हुए। चूंकि पक्षकारान की मुख्य आपति है, कि बंटवाडा मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत हुआ है, जिसके कारण राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति का मिलान नहीं हो रहा है। कानून की मंशा है कि राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति समानान्तर होनी चाहिए, ताकि एकरूपता बनी रहें एवं अपीलाधीन भूमि के संबंध में पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति के आधार पर राजीनामा पेश किया और पक्षकारान अपीलाधीन आदेश निरस्त करवाकर मौके पर कब्जा काश्त स्थिति अनुसार बंटवाडे हेतु रजामंद है। ऐसी सूरत में राजीनामा मार्फक अपीलांट की अपील का निस्तारण किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। लिहाजा अपीलांट की अपील अन्दर मयाद सुमार कर आंशिक स्वीकार की जाकर उप तहसीलदार दूदवा के आदेश क्रमांक राजस्व/2021/04 दिनांक 18.10.2021 को अपास्त किया जाता है और प्रकरण इस दिशा निर्देश के साथ जारी किया जाता है कि उतरदातागण संख्या

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बालोतरा

02 से 08 में से किसी पक्षकारान को फैसले से आपत्ति है तो अपीलाधीन भूमि पर कब्जा काश्त अनुसार बंटवाड़े हेतु पुनः नये सिरे से आपसी सहमति बंटवाड़े हेतु उप तहसीलदार दूदवा के समक्ष पेश हो।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अश्विनी के. पंवार)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बालोतरा
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बालोतरा